न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाशचन्द मीना RAS

प्रकरण संख्याः— 13 / 2011 दायर दिनांक :— 08.02.2011

1. गोपीलाल पिता मंगलीया मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।

—:वादी

—: बनाम :—

1. पैमा पिता परथा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
2. धर्मा पिता पैमा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
3. लक्ष्मण पिता पैमा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
4. मोहन पिता पैमा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
5. नाना पिता पैमा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
6. केशु पिता पैमा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
7. रामी पत्नी स्व. अम्बालाल मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
8. हिरकी बेवा मंगलीया मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
9. देवीलाल पिता मंगलीया मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
10. खरता पिता भेरा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
11. रूपा पिता भेरा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।
12. नारायण पिता भेरा मीणा, निवासी सरेडी, तहसील लसाडिया जिला—उदयपुर।

—:प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत **आर.टी.एक्ट 1955, धारा 188**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :—03.02.2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा इस आशय का दावा प्रस्तुत किया है कि ग्राम सरेडी, प.ह. लकुकालेवा, तहसील लसाडिया ख.न. 267 / 3 रकबा पौने पांच बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 9 की शामलाती आराजी है जिसके लगभग आधे भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 12 ने कब्जा कर लीया है व कच्चे मकान बना लिये है। उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 10 से 12 को बेदखल कर भूमि वादी को सोंपी जावे। एवं उक्त भूमि पर जो घर बने है उनको हटाया जावे जिसका खर्चा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 12 से वादी को दिलाया जाने हेतु निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये प्रतिवादीगण ने जबाब में अंकित किया कि उक्त खसरा नम्बर पर वादी का कभी कब्जा रहा ही नहीं एवं उक्त भूमि

पर मकान 40 वर्षों से भी अधिक अवधि से बने होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 11 को विरासत में प्राप्त हुए है। अतः दावा निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज पर विचार किया गया। वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत दावा पेश किया गया जो दावे में वर्णित तथ्यों एवं कथनों के साथ विरोधाभास व्यक्त करता है। दावे में वादी द्वारा स्वयं इस कथन को स्वीकार किया गया है कि उक्त आराजी के लगभग आधे भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 12 का कब्जा है और उनके द्वारा कच्चे मकान भी बनाये हुए है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 11 ने अपने जवाब में उक्त कब्जे एवं मकान बनाये जाने की अवधि 40 वर्ष से भी अधिक बतायी है। उक्त दोनो ही कथनों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के प्रति विरोधाभास व्यक्त होता है। क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 10 से 12 का उक्त आराजी में लम्बी अवधि से कब्जा होने के उपरान्त वादी द्वारा उक्त धारा अन्तर्गत दावा करने का कोई औचित्य नहीं है। केवल मात्र वाद पत्र के शीर्षक में धारा 188 अधिनियम 1955 अंकित कर देने मात्र से वादी स्वतः ही चिर निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। (राम खिलाडी व मिश्रीलाल 1976 आर.आर.डी. 439 के अनुसार) जब वादी का वादभूमि पर कब्जा नहीं था, तो उसे धारा 183 के अधीन कब्जे के लिए वाद फाइल करना चाहिए था, न कि धारा 188 के अधीन। (जीवा ब. घासी, 1988 आर.आर.डी. 703 के अनुसार) वाद में सफल होने के लिए वादी को–अपीलार्थियों को यह प्रदर्शित करना होगा कि वाद फाइल करने की तारीख को वाद–भूमि पर उनका कब्जा काश्त था। इस वाद में ऐसा नहीं है। (लालसिंह ब. विधिक प्रतिनिधि दयाल, 1995 आर.आर.डी. 760 (खण्डपीठ) के अनुसार) कब्जे के अभाव में स्थायी व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। घोषणा प्राप्त करने के बाद एक अभिधारी अतिचारी के निष्कासन (बेदखली) का वाद फाइल कर सकता है, यदि वह कब्जे में नहीं है।

अतः दावा वादी अस्वीकार है। डिक्री जारी की जावे।

आज दिनांक 03.02.2017 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(के.सी.मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–उदयपुर (राज.)